

15-11-18
10:0 End

Request - 139

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या:सा0-1541/सात-न्याय-1-18-43(प्र)/1999

लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

Reg. No - 559
File No - IV-3492
Serial No - 66

कार्यालय-ज्ञाप

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख को अंकित तिथि से उनके अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

17-11-18
Bina
13-5-19

क्रमांक	नाम/पदनाम	15 प्रतिशत की दर से अनुमन्य प्रशिक्षण भत्ता की तिथि
1-	श्री सन्तोष राय अपर निदेशक (अनुसंधान)	दिनांक 04-10-2018
2-	श्री अवनीश कुमार (उप निदेशक)	दिनांक 02-10-2018

403

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारी यह प्रशिक्षण 06 माह के अन्दर डी0टी0एस0/डी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगे अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के बाद विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3- उक्त प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी लखनऊ अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाडमी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होगा।

उक्त आदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-24/8-76-का0-प्र0स0को0 /1999, दिनांक 12-5-1999, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21-8-1999 एवं सम- संख्यक शासनादेश दिनांक 23-12-02 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

29
P.S. b.R. 14/18

12 NOV 2018

Reg (J) (CB)

दिनेश कुमार सिंह-11
प्रमुख सचिव।

DR(M)

RG
12/11/18

D.R. (R.R.) Admin

S.O. Admin, H/A
14/11/2018

Reg (J) (CB)
13/11/18

Ms Pranti
14/5/19

632

संख्या: सा0-1541(I)/सात-न्याय-1-18-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ।
- 4- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक, कोषागार, कैम्प कार्यालय, प्रथम तल, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 7- श्री सन्तोष राय अपर निदेशक (अनुसंधान), न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- श्री अवनीश कुमार उप निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-12/न्याय अनुभाग-9(बजट)।
- 10- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

LR (M)

This serial is only for
information. May file

Went. Doul.

12/05/19

R.O.

Sandu

16.05.19

S.O.

Yes

Rd

17/5/2019

SR